

फरद उद्देका
पुनर्देकी को बनाम 11/11 ज्ञानी एम कोर्ट



11/0/2017

ग्राहिका पत्र

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

26/4/18 वकील कम्पापथ उक्त
पेशेकार सामान उक्त जवाब
आपका पत्र के करने को कवाता
पाया। पत्रावली दिनांक 29-6-18
को प्रेषित है तब तक पूर्व आदेश
प्रकार रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

29-6-18 पत्रावली 29 जून को
आज्ञा न्याय आपका 2018 के
विनिर्णय में प्रेषित है। वकील उक्त
पत्र उपस्थित। वकील अपात्रता
दिए गए जवाब ग्राहिका पत्र मप
काउन्सिल में प्रेषित किया गया
शांति किया गया। वहस अपात्र
हुनी गयी तथा पत्रावली का अग्रलेख
किया गया। बाद वादियागण बाबर
स्थापना निवेदनका का है तथा प्रमाण
के जवाब दिया गया काउन्सिल में
पत्र किया गया है। अतः बाद वहस
मनन मूलवाद के तथ्यों पर प्रमाण
के न्याय पूर्ण निष्ठागत तक दोनों
पक्षों को मार्केटला मूलवाद स्थापना
निवेदनका से पास कर दिया जा रहा है।
वे ग्राहिका विनिर्णय की प्रमाणिकता
30/4/0-14 ई० की मोकाला की
प्राप्ति बनाये रखें। निर्णय प्रमाण
है आस में सुनाया गया। पत्रावली
दर्ज नम्बर है कम होवे।

प्रीतजीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपका द्वार-2018
विराटनगर (जयपुर)